



प्रेस नोट

दिनांक 20.02.2026

## थाना चिकासी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.02.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा एक अदद अवैध तमंचा व तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त अभिषेक उर्फ गोलू पुत्र हरपाल सिंह को रावतपुरा मचहरी रोड पर बहद ग्राम मचहरी थाना चिकासी जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

### अभियुक्त का विवरण-

अभिषेक उर्फ गोलू पुत्र हरपाल सिंह (उम्र लगभग-23 वर्ष) निवासी ग्राम मचहरी थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

### बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर, तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

### गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 शिवम सेजवार
- 2.का0 अंकित साहू

